2024/518

निर्णय
08.08.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

मांगीलाल बनाम मोहनलाल आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 37/ वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
31.07.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 12.08.2024 को पेश हो।	मांगीलाल
7.08.2024	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकलाए फरीकैन उपस्थित। वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 08.08.2024 को पेश हो।	लक्ष्मीनारायण [illegible]
08.08.2024	वकलाए फरीकैन उपस्थित। स्टेट जबाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वादी प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली [illegible] से कम की जाकर [illegible] जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.28 18:34:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :–371/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
मांगीलाल पुत्र मोहनलाल जाति नाई साकिन चक 15–16 के.डब्लु.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र शेरा राम जाति नाई साकिन रावतसर हाल निवास चक 15–16 के.डब्लु.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. लक्ष्मी नारायण पुत्र मोहनलाल जाति नाई साकिन चक 15–16 के.डब्लु.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री कृष्णकुमार वकील–वादी
श्री करणीसिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांकः– 08.08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:–

1. वादी मांगीलाल को चक 12 के.डब्लु.डी. के प0 न0 143/419 के किला नम्बर 3 की 0.253 है0 8 की 0.253 है0 13 की 0.253 है0 18 की 0.253 है0 23/2 की 0.228 है0 व प0 न0 143/420 के किला न0 3 की 0.233 है0 पुर्वी पासा 8 की 0.249 है0 उतरी पश्चिमी कोणा को छोडकर 13 की 0.091 है0 उतरी पासा कुल तादादी 1.813 है0 तहसील रावतसर की भूमि का,
2. प्रतिवादी स0 2 लक्ष्मीनाराण को चक 12 के.डब्लु.डी. के प0 न0 143/420 के किला न0 3 की 0.020 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण लम्बी 8 की 0.004 है0 उतरी पश्चिमी कोणा 9 की 0.253 है0 12 की 0.253 है0 13 की 0.162 है0 दक्षिणी पासा 18 की 0.253 है0 19 की 0.253 है0 21/1 की 0.013 है0 22 की 0.253 है0 23 की 0.253 है0 24/1 की 0.1200 है0 कुल तादादी 1.837 है0 तहसील रावतसर की भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 08.08.2024 .को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.28 18:34:56 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Scanned with OKEN Scanner